

प्रेषक

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
विकास तथा पंचायत विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़।

सेवा में

उपायुक्त, फतेहाबाद।

क्रमांक ई0सी0ए0-5-2015/ 38098 दिनांक: 07/5/2015

विषय:- पंचायती राज संस्थाओं के आगामी आम चुनावों के प्रयोजनार्थ जिला फतेहाबाद की नव गठित ग्राम पंचायतों की अधिसूचना तथा पंचों की सीट के निर्धारण आदेश का प्रेषण।

उपरोक्त विषय पर आपको इस विभाग की अधिसूचना संख्या का0आ0 103/ह0अ011/1994/धा0 8 व 7/2015 दिनांक 30.04.2015, संख्या का0आ0 107/ह0अ011/1994/धा0 8 व 7/2015 दिनांक 30.04.2015 जिससे ग्राम पंचायत मांगावाली को ग्राम पंचायत हासंगा से निकालकर ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर सौत्र में शामिल करने तथा ग्राम पंचायत सालमखेडा से गांव चपलामोरी के नाम से अलग ग्राम पंचायत बनाई गई है, तथा इस विभाग के आदेश संख्या ई0सी0ए0-5-2015/552 दिनांक 05.05.2015, आदेश संख्या ई0सी0ए0-5-2015/540 दिनांक 05.05.2015 द्वारा सीट निर्धारण की गई है, की एक-एक प्रति भेजकर अनुरोध है कि इसकी वार्ड बन्दी आदि का समस्त कार्य शीघ्र पूर्ण करके राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा, पंचकूला को अवगत करवाते हुए इस विभाग को सूचित करें।

संलग्न:- अधिसूचना/उक्त आदेश।

Anand Kumar
अधीक्षक (चुनाव)

कृते: अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
विकास तथा पंचायत विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़।

पृष्ठांकन क्रमांक ई0सी0ए0-5-2015/ 20099-103 दिनांक: 07/5/2015

इसकी एक-एक प्रति इस विभाग की अधिसूचना का0आ0 103/ह0अ011/1994/धा0 8 व 7/2015 दिनांक 30.04.2015, संख्या का0आ0 107/ह0अ011/1994/धा0 8 व 7/2015 दिनांक 30.04.2015 तथा आदेश संख्या ई0सी0ए0-5-2015/552 दिनांक 05.05.2015, आदेश संख्या ई0सी0ए0-5-2015/540 दिनांक 05.05.2015 निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा, सैक्टर 17, प्लॉट नं0 2 पंचकूला।
2. समस्त उप मण्डल अधिकारी (ना0), फतेहाबाद
3. जिला विकास तथा पंचायत अधिकारी, फतेहाबाद।
4. खण्ड विकास तथा पंचायत अधिकारी, फतेहाबाद तथा *अलिवा*

Anand Kumar
अधीक्षक (चुनाव)

कृते: अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
विकास तथा पंचायत विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़।

हरियाणा सरकार

विकास तथा पंचायत विभाग

अधिसूचना

दिनांक 30 अप्रैल, 2015

संख्या का0आ10 103/ह0अ0 11/1994/घा10 7/2015.—हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का हरियाणा अधिनियम 11), की धारा 7 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, ग्राम पंचायत हासंगा, खण्ड रतिया, जिला फतेहाबाद के सभा क्षेत्र से गांव ढाणी मंघावाली के क्षेत्र को निकालते हैं और इस प्रकार निकाले गये क्षेत्र को ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर सौत्र, खण्ड रतिया, जिला फतेहाबाद में सम्मिलित करते हैं।

नवराज संन्धु,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
विकास तथा पंचायत विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
DEVELOPMENT AND PANCHAYATS DEPARTMENT

Notification

The 30th April, 2015

No. S.O. 103/H. A. 11/1994/S. 7/2015.—In exercise of the powers conferred by Sub-sections (3) of Section 7 of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994 (Haryana Act, 11 of 1994), the Governor of Haryana hereby excludes the area of village Dhani Manghawali from the Sabha area of Gram Panchayat Hassinga, Block Ratia, District Fatehabad and include the area so excluded in the Gram Panchayat Mohamadpur Sautra, Block Ratia, District Fatehabad.

NAVRAJ SANDHU,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Development and Panchayats Department.

हरियाणा सरकार

विकास तथा पंचायत विभाग

आदेश

दिनांक 5 मई, 2015

संख्या ई0सी0ए02-2015/552-ग्राम पंचायत हासंगा का समा क्षेत्र ढाणी मघावाली को ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर सौत्र में सम्मिलित के फलस्वरूप हरियाणा सरकार राजपत्र (असाधारण) दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 में प्रकाशित इस विभाग के आदेश संख्या ई0सी0ए02-2014/614 दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 के आंशिक संशोधन में हरियाणा पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 3, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का हरियाणा अधिनियम 11) की धारा 9 के साथ पढित, के अनुसरण में यह आदेश दिया जाता है कि जिला फतेहाबाद की निम्नलिखित ग्राम पंचायतों में, इसके द्वारा, पंचायती राज संस्थाओं के आगामी आम चुनाव के प्रयोजनार्थ पदों की ऐसी संख्या होगी जो नीचे दी गई अनुसूची के प्रत्येक के खाने के सामने खाना 4 से 9 के नीचे यथावर्णित है:-

अनुसूची

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्र. सं०	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कुल सीटें	महिलाओं हेतु आरक्षित (अनुसूचित जाति की महिलाओं सहित)	अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित	खाना संख्या 6 में से अनुसूचित जाति की महिलाओं हेतु आरक्षित	पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षित	अनारक्षित
1	रतिया	हासंगा	13	5	3	1	1	5
2	रतिया	मोहम्मदपुर सौत्र	11	4	2	1	1	5

नवराज सन्धु,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
विकास तथा पंचायत विभाग।

हरियाणा सरकार

विकास तथा पंचायत विभाग

अधिसूचना

दिनांक 30 अप्रैल, 2015

संख्या का0आ10 107/ह0अ011/1994/घा10 8 व 7/2015.—हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का हरियाणा अधिनियम 11), की धारा 8 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 7 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, ग्राम पंचायत सालमखेड़ा, खण्ड फतेहाबाद, जिला फतेहाबाद के सभा क्षेत्र से गांव चपला मोरी के क्षेत्र को निकालते हैं तथा नीचे दी गई अनुसूची के खाना 3 में इस प्रकार निकाले गए तथा विनिर्दिष्ट क्षेत्र को सभा क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं तथा उक्त अनुसूची के क्रमशः खाना 1 तथा 2 में यथावर्णित खण्ड तथा जिले में उक्त सभा क्षेत्र के लिये उक्त अनुसूची के खाना 4 में यथावर्णित चपला मोरी के नाम से ग्राम पंचायत स्थापित करते हैं, अर्थात् :-

अनुसूची

खण्ड का नाम	जिला	गांव/सभा क्षेत्र का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
1	2	3	4
फतेहाबाद	फतेहाबाद	चपला मोरी (हदबस्त संख्या 44)	चपला मोरी

तथापि, यह अधिसूचना पंचायती राज संस्थाओं के आगामी आम चुनावों के समय पर प्रभावी होगी।

नवराज सन्धु,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
विकास तथा पंचायत विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
DEVELOPMENT AND PANCHAYATS DEPARTMENT**Notification**

The 30th April, 2015

No. S.O. 107/H. A. 11/1994/S. 8 & 7/2015.—In exercise of the powers conferred by Sub-sections (1) and (3) of Section 7 read with Sub-section (1) of Section 8 of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994 (Haryana Act 11 of 1994), the Governor of Haryana hereby excludes the area of village Chaplla Mori from the sabha area of Gram Panchayat Salamkhera, block Fatehabad, district Fatehabad and declares the area so excluded and specified in column 3 of the Schedule given below to be sabha area and establishes Gram Panchayat by the name of Chaplla Mori as mentioned in column 4 of the said Schedule for the said sabha area in block and district as mentioned in column 1 and 2 respectively of the said Schedule, namely:—

SCHEDULE

Name of Block	District	Name of Village/ Sabha Area	Name of Gram Panchayat
1	2	3	4
Fatehabad	Fatehabad	Chaplla Mori (Hadbast Number 44)	Chaplla Mori

However, this notification shall be effective at the time of next general elections of Panchayati Raj Institutions.

NAVRAJ SANDHU,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Development and Panchayats Department.

आदेश

दिनांक 5 मई, 2015

संख्या ई0सी0ए02-2015/540.-ग्राम पंचायत सालमखेड़ा के विभाजन के फलस्वरूप हरियाणा सरकार राजपत्र (असाधारण) दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 में प्रकाशित इस विभाग के आदेश संख्या ई0सी0ए02-2014/614 दिनांक 10 दिसम्बर 2014 के आंशिक संशोधन में हरियाणा पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 3, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का हरियाणा अधिनियम 11) की धारा 9 के साथ पठित, के अनुसरण में यह आदेश दिया जाता है कि जिला फतेहाबाद की निम्नलिखित ग्राम पंचायतों में, इसके द्वारा, पंचायती राज संस्थाओं के आगामी आम चुनाव के प्रयोजनार्थ पंचों की ऐसी संख्या होगी जो नीचे दी गई अनुसूची के प्रत्येक के खाने के सामने खाना 4 से 9 के नीचे यथावर्णित है.-

अनुसूची

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्र० सं०	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कुल सीट	महिलाओं हेतु आरक्षित (अनुसूचित जाति महिलाओं सहित) की	अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित	खाना संख्या 6 में से अनुसूचित जाति की महिलाओं हेतु आरक्षित	पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षित	अनारक्षित
1	फतेहाबाद	सालमखेड़ा	12	4	4	2	1	5
2	फतेहाबाद	चपला मोरी	9	3	3	1	1	3

नयराज सन्धु,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
विकास तथा पंचायत विभाग।